

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 7(10)राज/वाद/2026

जयपुर, दिनांक 03/08/2026

:: आदेश ::

प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग राज. जयपुर के पत्र क्रमांक प.3(1)प्र.सु./अनु.-3/2024-07601 जयपुर, दिनांक 08.07.2026 में दिये गये दिशा-निर्देशानुसार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा वर्ष 2024 में आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा, 2024 में चयनित अभ्यर्थियों में से इस विभाग को आवंटित अनुसूचित क्षेत्र के निम्नांकित अभ्यर्थियों को **राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1999 यथा संशोधित तथा राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014** के अन्तर्गत अस्थायी आधार पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पद पर 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक 12,600/- रुपये प्रतिमाह एवं तत्पश्चात् परिवीक्षाकाल अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर पे-मैट्रिक्स के लेवल 1-2 में अधोलिखित शर्तों पर कार्यभार संभालने की तिथि से नियुक्त किया जाकर, इनका पदस्थापन इनके नाम के सम्मुख अंकित इस विभाग के अधीनस्थ कार्यालय में एतद्वारा किया जाता है:-

क्र. सं.	मेरिट नं०	रोल नं०	नाम सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती	पिता का नाम सर्व श्री	जन्म तिथि	महिला/पुरुष	श्रेणी	एच. श्रेणी	चयनित श्रेणी	पदस्थापन कार्यालय
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1	12126	2303076	MAHESH SUTHAR	KHYALI LAL	26-11-2006	MALE	OBC	-	GEN	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, खैरवाड़ा, जिला उदयपुर
2	16490	2657760	ARJUN LAL GAYARI	DASHARATH GAYARI	13-06-1999	MALE	OBC	-	GEN	विशिष्ट लोक अभियोजक (पोक्सो), प्रतापगढ़
3	47394	3538058	AMISHA PATIDAR	DAYALAL PATIDAR	12-05-2006	FEMALE	OBC	-	GEN	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सांगवाड़ा, जिला डूंगरपुर
4	136473	3482298	DEEPAK MEENA	KESAR SINGH MEENA	27-11-1997	MALE	ST	-	ST	विशिष्ट लोक अभियोजक (एन.डी.पी.एस), प्रतापगढ़
5	138666	3131090	JYOTISH KUMAR NINAMA	HARJI NINAMA	14-05-2005	MALE	ST	-	ST	विशिष्ट लोक अभियोजक (पोक्सो), डूंगरपुर
6	156754	3133785	MANI LAL	BADRI PRASAD	15-02-1990	MALE	ST	-	ST	अपर लोक अभियोजक, सं01, आबू रोड, जिला सिराही
7	441111	2799231	SONU KUMARI RAWAT	ARJUN SINGH RAWAT	21-06-1991	FEMALE	ST	LDCP	ST	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा
8	863002	3073803	RADHA KUMARI SHARMA	ONKAR LAL	06-06-1989	FEMALE	GEN	WID	GEN	विशिष्ट लोक अभियोजक (अजा/अजजा), प्रतापगढ़

- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2017 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 30.10.17 के अनुसार नियत पारिश्रमिक (Mixed Remuneration) के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे।
- उक्त नियुक्ति आदेश माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन एस0बी0 सिविल याचिका संख्या 1905/2026, 4084/2026, 18091/2025 एवं माननीय न्यायालय में विचाराधीन उक्त भर्ती से संबंधित विभिन्न याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णयों के अध्वधीन रहेगी।
- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
- राज्य सरकार द्वारा जारी नियमानुसार पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। गर्भवती महिलाओं के लिये कार्मिक(क-2)विभाग के परिपत्र क्र. प.15(01)/कार्मिक/क-2/74 दिनांक 16.08.2005 में वर्णित प्रावधान प्रभावी होंगे।
- परिवीक्षाकाल (Probation Period) में कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
- यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया तो, उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।

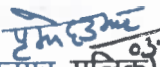
8. **आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अभ्यर्थी को अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा।** किसी कारणवश उक्त समयावधि में कार्यभार संभालने में असमर्थ हो, तो उक्त समयावधि में अभिवृद्धि हेतु पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुये अधोहस्ताक्षरकर्ता से अनुमति लेनी होगी। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।
9. यदि अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं, उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन, भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। उक्त संबंध में यदि इस नियुक्ति आदेश के जारी होने के 15 दिवस में पूर्व कार्यरत विभाग से कार्यमुक्ति/त्याग पत्र स्वीकृति आदेश प्राप्त नहीं होने की स्थिति में, कार्यग्रहण काल में नियमानुसार अभिवृद्धि हेतु, 15 दिवस समाप्ति के 05 दिवस पूर्व प्रार्थना पत्र इस विभाग को भिजवाना होगा।
10. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार प्राधिकृत सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, जो कि किसी राजकीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय-समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।
12. राज्य में अवस्थित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान एवं राज्य के बाहर के बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा जारी शैक्षणिक दस्तावेजों के प्रमाणीकरण हेतु अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत/उल्लेखित शैक्षणिक दस्तावेजों एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की संबंधित बोर्डों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने/सही संदर्भित होने के क्रम में उक्त नियुक्ति प्रोविजनल रहेगी। जांच रिपोर्ट में कोई विपरीत तथ्य/मिथ्या सूचना पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त किये जाने के अध्यक्षीन रहेगी।
13. यदि किसी भी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में जांच उपरान्त दस्तावेज कूटरचित/फर्जी/मिथ्या पाये जाते हैं तो कार्यग्रहण के उपरान्त भी ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जावेगी साथ ही ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध भविष्य में आयोजित होने वाली परीक्षाओं से वंचित किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।
14. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी के पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का अधिकार राज्य सरकार/विभाग के पास सुरक्षित रहेगा, अर्थात् नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यक्षीन रहेगी।
15. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
16. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी समस्त सूचनाएं एवं संलग्न किये गये प्रमाण-पत्र सत्य हैं। किसी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना, असत्य/फर्जी पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार विधिक/अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी तथा राज्य सरकार/विभाग द्वारा इनकी सेवायें तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।
17. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व भारत के संविधान के प्रति निष्ठावान रहने की शपथ लेनी होगी।
18. चयनित अभ्यर्थियों के अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ के पूर्व में एवं बाद में कार्यग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी मेरिट सूची के आधार पर ही होगा।
19. उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है और जिन्हें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सम्यक् सत्यापन पश्चात् स्वीकार किया गया है।
20. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।



(राघवेन्द्र काछवाल)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि/विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वादकरण)।
3. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर।
4. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.3(1)प्र.सु./अनु.-3/2024-07601 जयपुर दिनांक 08.07.2026 के क्रम में।
5. संबंधित जिला कलक्टर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार प्राधिकृत सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, जो कि किसी राजकीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त संबंधित अभ्यर्थी को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्य ग्रहण करवाकर संबंधित कार्यालय में उपस्थिति प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित कर, इस विभाग को अवगत करावें साथ ही लेख है कि अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यग्रहण किये जाने अथवा नहीं किये जाने के संबंध में सूचना तत्काल इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावे, जिससे कि प्रकरण में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।
6. संबंधित विशिष्ट लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजकगण को प्रेषित कर लेख है कि अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यग्रहण किये जाने अथवा नहीं किये जाने के संबंध में सूचना संबंधित जिला कलक्टर को तत्काल प्रेषित करते हुये, इस विभाग को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।
7. संबंधित सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग।
8. संबंधित कोषाधिकारी।
9. सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, वादकरण।
10. संबंधित अभ्यर्थी.....।
11. ए0सी0पी0, विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. निजी/रक्षित पत्रावली।


(प्रमोद कुमार मलिक)
शासन सचिव, विधि